न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू

पीठासीन अधिकारी अर्पिता सोनी (आरएएस)

दावा संख्या 185/2016 उनवान

1हरिराम पुत्र पांच्या जाति रेगर निवासी ढोढरिया तह0 पीपलू जिला टोंक कुल 3 कस

वादीगण

बनाम

1.सुखदेवा पुत्र मांगू जाति रेगर निवासी ढोढरिया तह0 पीपलू जिला टोंक

प्रतिवादी

अधिवक्ता वादी :- श्री राजाराम चौधरी

अधिवक्ता प्रतिवादीगण :- अनु0

निर्णय दिनांक :2.2.2018

दावा स्थायी निषेधाज्ञा

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी ने कथन किया कि भूमि आराजी खसरा 367 रकबा 1 बीधा 18 बिस्वा वाके ग्राम ढोढरिया तहसील पीपलू में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण ही खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है । तथा अप्रार्थी का किसी प्रकार कोई सबंन्ध नही है प्रतिवादी बिना किसी अधिकार के प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि को जबरन हडपने व प्रार्थीगण को भूमि में से बेदखल करने एवं मजाहमत करने एवं बिना किसी अधिकार के जबरन ताकत के बल पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप करने पर अमादा है। जिसका उनको कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। इस कारण प्रतिवादी को हमेशा –हमेशा के लिए पाबन्द किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है। अतः अप्रार्थी को एवं अन्य रिस्तेदार जरिये एजेन्ट नोकर या अन्य किसी के माध्यम से कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप नही करे हमेशा – हमेशा से पाबन्द फरमाया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर तलबी प्रतिवादी की गई प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र गुर्जर ने वकालत नामा व जवाब पेश किया किन्तु दिनांक 28.2.2018 को पुनः नो ओबजेशन कर दावा डिकी करने पर अपनी सहमति जाहिर की है। जिससे प्रतिवादी की अनुपस्थित मानते हुए बहस एक तरफा सुनी गई की गई ।

हमने बहस अभिभाषक वादीगण की सुनी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व अधिवक्ता के निवेदन करने पर प्रस्तुत पत्रावली के अवलोकन पर वादीगण की खातेदारी भूमि आराजी खसरा 367 रकबा 1 बीधा 18 बिस्वा वाके ग्राम ढोढरिया तहसील पीपलू में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण ही खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है, सिद्व होने से दावा इस प्रकार डिकी किया जाता है कि प्रतिवादी एवं अन्य रिस्तेदार जरिये एजेन्ट नोकर या अन्य किसी के माध्यम से कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप नही करे हमेशा – हमेशा से पाबन्द किया जाता है।

डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.2.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)

आरएएस

उपखण्ड अधिकारी पीपलू